हरियाणा रोडवेज की बस व ट्रेलर में भिड़ंत, चार यात्रियों की मौत

दो दर्जन से अधिक यात्री घायल, मृतकों में यूपी, बिहार व जयपुर निवासी है

पावटा, (निसं)। नेशनल हाइवे-48 पर भाबरू थाना क्षेत्र के आंतेला पुलिया के पास मंगलवार दोपहर में हरियाणा रोडवेज की बस और ट्रेलर में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बालिका सहित चार यात्रियों की मौत हो गई व दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों को उपजिला अस्पताल पावटा, उपजिला अस्पताल शाहपुरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंतेला में भर्ती कराया गया। हरियाणा रोडवेज की बस जयपुर से दिल्ली जा रही थी।

प्रागपुरा व भाबरू थाना पुलिस के अनुसार हाइवे पर खड़े ट्रेलर को हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस ने ओवरटेक करते हुए पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का ड्राइवर की तरफ का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई, जिस पर मौके पर मौजूद ग्रामीण, व्यापारी घटना स्थल की तरफ भागे। स्थानीय लोगों की सूचना पर घटना स्थल पर प्रागपुरा, भाबरू थाना पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को उपजिला अस्पताल पावटा, उपजिला अस्पताल शाहपुरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंतेला में भर्ती कराया गया। बस का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों की सहायता से यात्रियों को बस से बाहर निकालने में काफी समय लगा। इस दौरान घटना की सूचना पर उपजिला अस्पताल पावटा प्रभारी डॉ. रवि बंसल, डॉ. अशोक जाट अपनी टीम के साथ घायल यात्रियों को बचाव कार्य में जुट गए। वहीं हादसे की सूचना पाकर उपखंड अधिकारी पावटा कपिल कुमार उपाध्याय, विराटनगर उपखंड अधिकारी अमिता मान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली वैभव शर्मा भी उपजिला अस्पताल पावटा पहुंचे जहां चिकित्सकों को घायलों के इलाज के निर्देश देते हुए पुलिस प्रशासन टीम की सहायता से मृतकों व घायलों का नाम व पता मालूम कर उनके परिजनों को अवगत करवाया।

सड़क दुर्घटना में 16 घायलों को पावटा उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जिनमें शकीरा पत्नी कादिर खां निवासी बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), रजिया खातून पत्नी मोहम्मद सुलेमान निवासी बेगूसराय (बिहार) और सुनील जैन पुत्र पदम जैन निवासी जयपुर शामिल थे। इसके अलावा बाद में एक बालिका की मौत होने की जानकारी सामने आई है। हादसे में मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं दो गंभीर घायलों को निम्स हॉस्पिटल रेफर किया है, जबकि अन्य घायलों को आंतेला सीएचसी और शाहपुरा उपजिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। हरियाणा रोडवेज की बस जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। आंतेला पुलिया के पास खड़े ट्रेलर में पीछे से टकराई तो सवारियों में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान हादसे के बाद हाइवे पर लंबा जाम लग गया।

पावटा उपजिला अस्पताल में भर्ती घायल मोहम्मद सुलेमान ने बताया बस बहुत तेज रफ्तार में थी। खडे ट्रेलर के बेहद करीब से गुजरते समय हादसा हो गया। सुलेमान ने बताया कि मैं जयपुर से धारूहेडा (हरियाणा) जा रहा था। मेरे साथ बेटा, बेटी, मां और पत्नी भी थी। इस हादसे में मेरी पत्नी रजिया खातून की मौत हो गई। परिवार के तीन अन्य सदस्य घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जयपुर भेजा गया है।

भाबरू थाना क्षेत्र के आंतेला पुलिया के पास हुये हादसे में बस और ट्रेलर क्षतिग्रस्त हो गये।

- टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का ड्राइवर की तरफ का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया
- नेशनल हाइवे-48 पर भाबरू थाना क्षेत्र के आंतेला पुलिया के पास हुआ हादसा

दस हजार की रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार

झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत मांगी थी

उदयपुर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की स्पेशल टीम ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर परिवादी से दस हजार रूपये रिश्वत लेते प्रतापनगर पुलिस थाने के एएसआई राजेश मीणा को रंगे हाथों पकड़ा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट उदयपुर को 26 मई को शिकायत मिली। जिसमें परिवादी ने बताया कि प्रतापनगर पुलिस थाने के एएसआई द्वारा पुलिस थाना प्रतापनगर उदयपुर पर दर्ज प्रकरण में परिवादी एवं उसकी कार का नाम निकालने की एवज में 15 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई है एवं नहीं देने पर परिवादी को जेल में बंद करने की धमकी दी। इस पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन रूबरू वार्ता में करवाई गई। जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 15 हजार रूपये की मांग कर 10 हजार रूपये ग्रहण करने की सहमति देने की पुष्टि हुई, जिस पर एसीबी कोटा के शिवराज उप महानिरीक्षक पुलिस के सुपरविजन में एसीबी स्पेशल यूनिट उदयपुर के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक लक्ष्मणलाल डांगी मय टीम ने मंगलवार को ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश कुमार मीणा पुत्र मुकेश कुमार मीणा निवासी गांव बापाल देवल सादर डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना प्रतापनगर जिला उदयपुर को परिवादी से 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर रिश्वत राशि बरामद की।

हादसे में गर्भवती महिला की मौत, पति व बेटा घायल

अजमेर, (कासं)। घूघरा गांव स्थित एक पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल और कार की भिड़ंत में चार माह की गर्भवती महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और तीन वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार किशनगढ़ से रिश्तेदार के दाह संस्कार से घर लौट रहा था और सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम नगर निवासी मृतका सोनू चार माह की गर्भवती थी। उसका पति चरणदास और तीन वर्षीय पुत्र लड्डू हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। परिवार किशनगढ़ में किसी रिश्तेदार की मृत्यु पर गया था और दाह संस्कार के बाद लौटते समय यह दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि घटना घूघरा पेट्रोल पंप के पास की है, जहां गलत दिशा में आ रही कार चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने दोनों वाहनों को जप्त कर लिया है।

- घूघरा गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास बाइक और कार में भिड़ंत हो गई थी
- परिवार किशनगढ़ से रिश्तेदार के दाह संस्कार से घर लौट रहा था

सम्मन बनाम मुद्दायलाह बिनावर कायमी तनकीहात
(आर्डर 5 रूल 1 व 5 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत श्रीमान् सहायक कलेक्टर महोदय, पाली व इजलास
मुद्दई रमेश कुमार बनाम मुद्दायलाह अनिल कुमार वगैरह
दावा बाबत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या
राजस्व विविध संख्या :-
बनाम- 1. शांतिलाल पुत्र श्री हस्तीमलजी, जाति ओसवाल जैन, निवासी वीर दुर्गादास नगर, पाली, 2. इन्दु देवी पुत्री श्री माणकचंदजी, जाति ओसवाल, निवासी सरदार शहर, जिला चुरू, 3. गटटू देवी पत्नी श्री माणकचंदजी, जाति ओसवाल जैन, 4. झिणकार देवी पुत्री माणकचदजी जाति ओसवाल जैन, 5. नीलम देवी पुत्री माणकचंदजी जाति ओसवाल जैन, 6. प्रकाशचंद पुत्री माणकचंदजी जाति ओसवाल जैन, निवासीगण सरदार शहर, जिला चुरू, 7. प्रकाशचंद पुत्र श्री मिलापचंद, झामड़, साकिन गुलाबपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा, 8. पारसमल पुत्र श्री माणकचंद, 9. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री माणकचंद, 10. राजेन्द्रकुमार पुत्र श्री माहलचंद, 11. ललिता देवी पुत्री माणकचंद, 12. विध्या देवी पुत्री माणकचंद, 13. विनीता देवी पुत्री माणकचंद, 14. सुरेश कुमार पुत्र माणकचंद जातिमण ओसवाल जैन, निवासी सरदार शहर, जिला चुरू, 15. मोहनराज पुत्र श्री खीवराज, जाति ओसवाल जैन, निवासी कवास, तहसील बाडमेर जिला बाडमेर
हरगाह रमेश कुमार पुत्र श्री हस्तीमलजी, उम्र वर्ष, जाति ओसवाल जैन, निवासी 55. आदर्श नगर, पाली (राज.) ने आपके खिलाफ एक दावा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दायर किया है लिहाजा आपको वजरिये इतहरीर के दावे की जवाबदेही के लिए तारीख 0.9.06.25 माह सन् 2025 को 10:00 बजे दिन के अदालत हाजा मे असालतन मारफत ऐसे वकील के जो कि हालात मुकदमे से वाकिफ किया गया हो व कुल अमूर अहम मुताल्लिके का जवाब दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई शख्स हो जो ऐसे सवालात का जवाब दे सके हाजीर होने के लिए तलब किया जाता है और उसको हिदायत दी जाती है कि जुमला दस्तावे जात जिन पर आप अपनी जवाबदेही की ताईद में इस्तदलात करना चाहते हो उस दिन पेश करो।
आगाह रहो कि अगर वरीज मजकूर आप हाजिर न हुए तो दावा आपकी गेर हाजरी मे सुना व फैसला किया जायेगा। बसिवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया।
मोहर
सहायक कलेक्टर, पाली (राज.)

युवक की हत्या, तीन-चार दिन पुराना शव मिला

बीकानेर, (निसं)। यहां गंगाशहर थाना क्षेत्र में एक बिहारी युवक की हत्या कर दी गई है। तीन-चार दिन पुराना एक शव यहां मिला है, जिसकी शिनाख्त करने पर नंदन बिहारी के रूप में पहचान हुई है। शव को आवारा कुत्तों ने नौंच डाला है। हत्या किसने और कब की, इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

जानकारी के अनुसार गंगाशहर थाने के सुजानदेसर गांव के पास ही चांदमल बाग है, इसी बाग के किनारे एक तरफ युवक का शव पड़ा मिला है। सुबह यहां से दुर्गंध आने के बाद आसपास लोगों ने अंदर जाकर देखा तो शव पड़ा मिला। इस बारे में गंगाशहर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौका मुआयना करने के बाद शव को पीबीएम अस्पताल भेजा। मृतक का शव यहां तीन-चार दिन से पड़ा है। शव को आवारा कुत्तों ने नोचना शुरू कर दिया था, जिसके बाद दुर्गंध आनी शुरू हो गई। मृतक की पहचान बिहारी युवक नंदन के रूप में हई है, जो करीब पच्चीस साल का है। ये इसी क्षेत्र में मजदूरी का काम करता था। युवक की मौत कैसे हुई, इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है कि हत्या कब हुई है। नंदन के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है, जिसके बाद ही घटनाक्रम के बारे में पता चल सकता है।

गंगाशहर थानाधिकारी परमेश्वर सुथार का कहना है कि नंदन की हत्या 25 मई को कर दी गई थी। उसके बाद शव को यहां लाकर फैंका गया। फिलहाल पुलिस को उसके कुछ साथियों पर शक है। जिनका पता लगाया जा रहा है। जल्दी ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। युवक के शरीर पर चोटों के निशान है। ऐसे में आशंका है कि लड़ाई झगड़े में मारने के बाद उसका शव यहां फैंका गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि शव लाने वालों का पता चल सके। अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है।

- युवक की हत्या कर शव चांदमल बाग के पास फैंका, साथियों पर शक
- शव को आवारा कुत्तों ने नौंचा, हत्या किसने और कब की, जांच जारी

गृह क्लेश में पति-पत्नी ने जहर खाया, दोनों की मौत

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में गृह क्लेश के चलते पति-पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को गंभीर हालत में भरतपुर के आरबीएम अस्पताल लाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने सुबह दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।

गांव माडापुरा निवासी महेंद्र कुमार ने बताया कि मेरा छोटा भाई सुरेंद्र (36) पत्नी पत्नी रीना (33) के साथ हमारे घर के पास ही अलग रहता था। कल शाम करीब छह बजे दोनों में किसी बात के चलते झगड़ा हुआ। इस दौरान उनके बच्चे भी घर पर थे। दोनों ने झगड़े में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे दोनों को उल्टियां होने लगी। जब बच्चों ने देखा कि दोनों को उल्टियां हो रही है तो वह शोर मचाने लगे, जिसके बाद पड़ौसी सुरेंद्र के घर पहुंचे। तब दोनों ने पड़ौसियों को बताया कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसके बाद पड़ौसियों ने महेंद्र को घटना की सूचना दी। महेंद्र और पड़ौसी दोनों को लेकर रुदावल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से दोनों को भरतपुर आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। मंगलवार सुबह दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। महेंद्र ने बताया कि सुरेंद्र और रीना के पांच बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी शिवन्या (8), कीर्ति (6), गुड़िया (4) गोलू (3), मोनू (1) साल है। पांचों बच्चे घर पर हैं। उनका रो-रो कर बुरा हाल है। सुरेंद्र चिनाई का काम करता था। सुरेंद्र और रीना में आये दिन झगड़ा हुआ करता था। दोनों की शादी 18 साल पहले हुई थी।

रुदावल थाने के सहायक उप निरीक्षक मुंशीलाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि माडापुरा के दंपती ने जहर खाकर आत्महत्या की है, जिनके शव आरबीएम अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखे हुए हैं। मृतक सुरेंद्र पुत्र सुरेंद्र सिंह और रीना कुमारी पति सुरेंद्र सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है।

वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

अभियुक्त की अपील खारिज

ब्यावर, (निसं)। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज संख्या 2 ने चेक अनादरण के मुलजिम नौखड़ा खरवा निवासी कानसिंह सुपुत्र राजू सिंह रावत को चेक अनादरण के मामले में अपील खारिज करते हुए दोषसिद्ध बरकरार रखते हुए एक साल की सजा भुगतने जेल भेजने के आदेश प्रदान किए। परिवादी प्रवीण सिंह चौहान सुपुत्र राजपालसिंह की ओर से एडवोकेट प्रवीण जैन ने तर्क दिया। परिवादी से उधार ली गई राशि के मांगती रकम के भुगतान के लिए चेक दिया जो मुल्जिम कानसिंह के खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अनादृत हो गया था। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर एडवोकेट प्रवीण जैन के तर्कों से सहमत होते हुए एवं पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर 3,30,000 रुपए के अर्थदंड एवं एक साल की सजा सुनाई, जिसके विरुद्ध मुलजिम कानसिंह ने अपील पेश की लेकिन एडवोकेट प्रवीण जैन के तर्क दिया कि मुलजिम ने जानबूझकर उसके खाते में राशि नहीं होने के बावजूद चेक दिया एवं चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर प्रमाणित है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि., खण्ड-बून्दी
क्रमांक :- 254 दिनांक :- 13.05.2025
निविदा सूचना संख्या 04/2025-26
NIB code PWD2526A0560
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड बून्दी के अधीन वार्षिक दर अनुबंध के आधार पर आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में मरम्मत कार्य के लिये उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवम् दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए, ए बी, सी, डी श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेंगी। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट Www.dipronline.org व http://www.pwd.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा अपलोड करने की तारीख 22.05.2025 से 31.05.2025 को सायं 6:00 बजे तक।
UBN is: PWD2526WSOB01693, UBN is: PWD2526WSOB01694
UBN is: PWD2526WSOB01695, UBN is: PWD2526WSOB01696
(शेखर चन्द मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि., खण्ड बून्दी
DIPR/C/6466/2025

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड द्वितीय, जयपुर
सी-ब्लॉक, बेसमेन्ट, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)
क्रमांक:308 **ई-निविदा सूचना संख्याः 06/2025-26** दिनांक:15-5-25
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जयपुर खंड कार्यालय में 08 सिविल कार्य हेतु कुल राशि रू. 318.24 लाख के उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग / राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत अनुभवी संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष किसी भी श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेव साईट www.dipronline.org. www.sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेब साईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता है।
UBN No. : 1. MHS2526WSOB01085, 2. MHS2526WSOB01086, 3. MHS2526WSOB01087 4. MHS2526WSOB01088, 5. MHS2526WSOB01089, 6. MHS2526WSOB01090 7. MHS2526WSOB01091, 8. MHS2526WSOB01092
अधिशाषी अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खण्ड द्वितीय, जयपुर
DIPR/C/6593/2025

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
क्रमांकःF.8A(08)Exam/A.O.&Ors.(Agri.Deptt.)/RPSC/EP-I/2024-25
दिनांकः 26.05.2025
-: प्रेस विज्ञिप्त :-
आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 17/2024-25 दिनांक 16.10.2024 को जारी किया गया था। आयोग द्वारा उक्त पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा की स्कीम एवं स्कीम के नीचे ''उक्त पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में अंकित विशेष निर्देशों'' को संशोधित किया गया है। इस हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट पर जारी शुद्धि पत्र संख्या 05/2025-26 का अवलोकन कर सकते है।
DIPR/C/6786/2025 (रामनिवास मेहता) सचिव

OFFICE OF THE MUNICIPAL BOARD, DEOGARH
Near Bus Stand Deogarh
Tel. No. 02904-252039 E-mail Id-EODEOGARH.LSG@RAJASTHAN.GOV.IN
S.No. F ( )/MBD/Engg./E-NIB/02/2025-26/395 Date :- 26.05.2025
Notice Inviting BID
NIB No 02/2025-26
नगर पालिका देवगढ द्वारा निम्नांकित विकास कार्यो हेतु केन्द्र व राज्य सरकार के विभागो व अधिकृत संगठनो व स्वायत शासी संस्थाओ में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से इलेक्ट्रोनिक फारमेन्ट में आनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धित विस्तृत विवरण व जानकारी वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in or http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।
NIB CODE :- DLB2526A1709
UBN No.:- DLB2526WSOB05874, DLB2526WSOB05867, DLB2526WSOB05862, DLB2526WSOB05868, DLB2526WSOB05863, DLB2526WSOB05869, DLB2526WSOB05864, DLB2526WSOB05865, DLB2526WSOB05870, DLB2526WSOB05871, DLB2526WSOB05872, DLB2526WSOB05873
महत्वपूर्ण तिथिया

निविदा कार्यक्रम	तिथि व समय
कुल निविदा के कार्य	12
निविदा की अनुमानित लागत	212.67 लाख
निविदा प्रकाशन की तिथि	26.05.2025 04:00 PM
निविदा डाउनलोड प्रारम्भ तिथि	26.05.2025 04:00 PM
ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	09.06.2025 10:00 AM तक
भौतिक रूप से डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने की तिथि	10.06.2025 11:00 AM तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	11.06.2025 12:00 PM से
ऑनलाईन निविदा हेतु वेबसाईट	http://eproc.rajasthan.gov.in

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका देवगढ
राज.संवाद/सी/25/3098

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(पदार्थ प्रबन्ध एवं अनुबन्ध शाखा) नया पावर हाउस परिसर, हैवी इंडस्ट्रीयल एरीया, जोधपुर- 342003 दूरभाष :- 0291-2742223, फैक्स :- 0291-2746539
ई-निविदा सूचना
एलटी टीवीएम स्टेटिक एनर्जी मीटर TN-2051 (UBN JVV2526GLOB00207), एचआरसी फ्यूज लिंक और बेस विभिन्न रेटिंग TN 2059 (JVV2526GLOB00205) & 11 के.वी. 3C X 120 वर्ग एम.एम. एवं 11 के.वी. 3C X 185 वर्ग एम.एम. एच.टी. पॉवर केबल TN-2052 (UBN JVV2526GLOB00206) की खरीद हेतु ई-निविदा आंमत्रित की जाती हैं। अन्य विवरण जैस निविदा मुल्य, धरोहर राशि, निविदा प्रस्तुत करने/खुलने की तिथि का विवरण इत्यादि वेबसाईट http://energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl एवं http://sppp.rajasthan.gov.in द्वारा जानी जा सकती हैं।
राज.संवाद/सी/25/3154 अधीक्षण अभियंता (पदार्थ प्रबन्ध एवं अनुबंध)
बिजली संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6045

कार्यालय नगर पालिका,जैतारण (ब्यावर)
क्रमांक/नपाजै/विकास/ईनिविदा/2025-26/659 दिनांक :- 19.05.2025
:: ई -निविदा सूचना संख्या 02/2025-26 ::
(NIB NO. DLB2526A1517)
नगर पालिका जैतारण की ओर से नगर पालिका जैतारण एवं राजकीय विभाग मे नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी मे पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र मे ई- प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया ऑनलाईन निविदाएं आंमत्रित की जाती है । नगर पालिका क्षैत्र के कुल 01 कार्य अनुमानित लागत 30.00 लाख रू की निविदा बेचे जानी प्रारम्भ की दिनांक 20.05.2025 एवं 05.06.2025 प्राप्त करने की दिनांक निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.eproc.rajashtan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है ।
राज.संवाद/सी/25/3096 अध्यक्ष अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका लवाण, दौसा (राजस्थान)
क्रमांक : न.पा.लवाण /निर्माण/2025-26/248 दिनांक 26.05.2025
निविदा सूचना संख्या-01/2025
नगर पालिका लवाण द्वारा नगर लवाण कोष से निम्नलिखित कार्य करवाये जाने हेतु कार्यालय नगर पालिका लवाण एवं इस कार्यालय से सम्बन्धित विभाग (अभियान्त्रिकी, स्वायत्त शासन विभाग) में पंजीकृत संवेदकों के अलावा अन्य विभाग के संवेदकों ए व एए श्रेंणी में पंजीकृत संवेदकों से (पंजीकरण नियम Appendix XVI Rule 334 के सेक्शन II के अनुसार) निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है। निम्नलिखित निविदा वेबसाईट ://www.sppp.rajasthan.gov.in से Download कर देखी व पढी जा सकती है।

निविदा सूचना क्र.सं.	निविदा डाउनलोड करने की तिथि	निविदा क्रय/विकय करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि	UBN NO.
01	26.05.2025	03.06.2025	03.06.2025	DLB2526WSOB05940

राज.संवाद/सी/25/3104 अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दुरभाष स. 0294-2421255, 2420013, Helpline no.0294-2426262,
Email:- ceoudr.lsg@rajasthan.gov.in electricalumc50@gmail.com Website :- https://udaipurmc.org/
क्रमांक : 184 दिनांक :- 26.05.2025
अल्पकालीन ई-बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - ई 02/2025-26
नगर निगम उदयपुर में अग्निशमन शाखा में उपयोग हेतु अग्निशमन उपकरणों की सप्लाई का कार्य वार्षिक दर अनुबंध हेतु इच्छुक अधिकृत फर्म/संस्थान/व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण इंटरनेट साईट www.sppp.raj.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा की कुल अनुमानित लागत 45.00 लाख है तथा निविदा की प्रारंभ तिथि 27.05.2025 अन्तिम तिथि 02.06.2025 एवं खोलने की दिनांक 03.06.2025 है।
UBN No. UNP2526GLRC00029
मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, उदयपुर आयुक्त नगर निगम, उदयपुर
राज.संवाद/सी/25/3126

मांडलगढ़ न्यायालय से लूट व चोरी के दो आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार

पुलिसकर्मियों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन हाथ नहीं आए

माण्डलगढ़, (निसं)। मांडलगढ़ में एसीजेएम कोर्ट में बीगोद थाने से लाए गए दो शातिर बदमाश पुलिस को धक्का देकर फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। बीगोद थाने के पुलिसकर्मियों ने फरार हुए बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आए। इस घटना में बीगोद पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही सामने आई है। वहीं गंभीर अपराध के अपराधियों को पेशी के दौरान न्यायालय में बेरिक में रखने की व्यवस्था नहीं होने को भी भारी चूक माना जा रहा है।

मांडलगढ़ कोर्ट में पेश करने लाए बीगोद थाने के सहायक उप निरीक्षक प्रहलाद कुमार ने बताया कि मुल्जिमों को दो सिपाहियों के साथ कोर्ट लेकर आए। आरोपी बेगूं थाना क्षेत्र के मंडावरी गांव के निवासी दिलीप कंजर और सोनू कंजर को चोरी और नकबजनी के मामले में प्रोडक्शन वारंट के जरिए बेगूं की जेल से गिरफ्तार करके लाए थे और रिमांड के लिए मांडलगढ़ कोर्ट में हथकड़ी लगाकर पेश किया।

इस दौरान दोनों आरोपियों की हथकड़ी को खोलकर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। जहां कोर्ट आदेश की इंतजार में ऊपरी मंजिल पर स्थित न्यायालय के बाहर बैठे थे। इस दौरान दोनों बदमाश पुलिस को धक्का मारकर न्यायालय की सीढ़ियां उतरकर पीछे की ओर खेतों और जंगल की ओर फरार हो गए। वहीं न्यायालय परिसर में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मौक्रे पर मौजूद एक पुलिसकर्मी मोबाईल चलाने में व्यस्त था दूसरे मुलजिम को छोड़ पानी पीने चले गए थे। इस दौरान मौका पाकर आरोपी फरार होने में सफल हो गए।

सूचना मिलने पर भीलवाड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन, मांडलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक बाबूलाल विश्नोई ने घटना स्थल का जायजा लिया और मांडलगढ़ ओर बेगूं थाना क्षेत्र सहित जिले में नाकेबंदी कराई। पुलिस की आठ अतिरिक्त टीम को तलाशी अभियान में लगाया है, जहां आसपास के जंगल, रेलवे स्टेशन और संदिग्ध ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा हैं।

प्मांडलगढ़ में एसीजेएम कोर्ट से फरार शातिर बदमाश।

लूट के दो आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। घर में घुसकर बजुर्ग को बंधक बना लाखों के जेवरात व नकदी लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार 25 मई को चार पांच नकाबपोश व्यक्तियों ने धरदार हथियार सहित मानपुर गांव में बुजुर्ग भुरीलाल कलाल के घर में घुस बारिश व तुफान के समय अंधेरे का फायदा उठा बुजुर्ग को बंधक बना करीब पन्द्रह लाख रूपये सोने के व तीन लाख रूपये चांदी के जेवरात, करीब दो लाख रूपये नकदी, मोबाइल, एक व दो रूपये के करीब पांच से छह किलो सिक्के, एक, दो, पांच, दस पैसे के पुराने सिक्के लूट ले गए। मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर पानरवा थानाधिकारी धनपतसिंह के नेतृतव में गठित दल ने जांच शुरू की। इस मामले में आसूचना अधिकारी कांस्टेबल दिलीप कुमार मेघवाल द्वारा किए गए अनुसंधान में मौके से मिले साक्ष्यों एवं मुखबीर से मिली सूचना पर थानाधिकारी मय टीम ने संदिग्ध विक्रम पुत्र तेजा निवासी शीलामाता पानरवा, बद्रीलाल पुत्र लाला निवासी शीलामाता पानरवा को थाने लाकर पूछताछ करने पर दोनों ने नारूलाल उर्फ नारायण व एक नाबालिग बच्चे के साथ मिलकर वारदात करना कबूल किया। इस पर विक्रम व बद्रीलाल को गिरफ्तार किया।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड बाडी
NIB No.: 18/2025-26 **निविदा सूचना** Date: 20.05.2025
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से पी.डब्लू.एफ.एण्ड.ए.आर पार्ट-।। अपेण्डिक्स 16 दिनांक 01.07.1999 से लागू एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित परिपत